

न्यायालय अंचल अधिकारी बरवाडीह, (जिला- लातेहार)

अनुसूचि 14 खण्ड 5021

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक-सं०

से

तक

जिला

सं०

सं०

केस का प्रकार :- रैयती भूमि का RS में जमाबंदी अद्यतन हेतु।

देश की क्रम
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की ग
कार्रवाई के बारे
टिप्पणी तारीख
सहित

3

14.12.022

अवेदक/आवेदिका

पिता/पति श्री. निरंजना प्रसाद झा साकिन दिपादेहर थाना दिपादेहर
.....जिला लातेहार के द्वारा C.S. से R.S. पंजी II को अद्यतन कर लगाने रसीद निर्गत करने हेतु
अनुरोध किया है। जो निम्न है:-

मौजा

खाता

प्लॉट

रकबा

दिपादेहर
58

नया/पुराना

10

1768

1.18 ए०

राजस्व उप निरीक्षक /अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करे एवं आम इस्तेहार निर्गत करें। दिनांक 29.12.022 को अभिलेख उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
बरवाडीह।

29.12.022

अभिलेख उपस्थापित । आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। किसी के द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ । राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त । राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि श्री निरंजना प्रसाद झा पिता/पति श्री. निरंजना प्रसाद झा साकिन दिपादेहर में दाखिल खारिज वाद संख्या 21.0.93-94 के द्वारा रकबा 1.18 ए० भूमि प्राप्त किये है। जिसका C.S. तथा R.S. का प्रतिवेदन निम्न प्रकार है:-

C.S. के अनुसार -

मौजा का नाम/थाना सं०

खाता

प्लॉट

रकबा

दिपा दोहर/58

37

264

1.18 ए०

R.S. के अनुसार -

मौजा का नाम/थाना सं०

खाता

प्लॉट

रकबा

दिपा दोहर/58

10

1768

1.18 ए०

उक्त भूमि का जमाबंदी लिखिसतीमाजी उत्तरिपेता कोनोलिउल ड्यो साकिन.....
दिपा दोहर के नाम से C.S. मांग पंजी॥ में चल रहा था। भूमि रैयती खाते की है एवं आवेदक
का शांतिपूर्ण देखल-कब्जा है। उक्त भूमि पर आवेदक के नाम से पूर्व में अंचल
पदाधिकारी, पलामू/लातेहार। के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं० 210/93-94 द्वारा
स्वीकृति दी गई थी। तदनुसार आवेदक/आवेदिका के नाम से जमाबंदी कायम कर लगान रसीद
निर्गत किया जा रहा था। वर्ष 2009-10 तक लगान रसीद निर्गत है। लगान रसीद/खतियान
की छायाप्रति एवं अमीन द्वारा ट्रेस किए गए नये/पुराने खाता प्लॉट का सत्यापित नक्शा संलग्न
है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक के स्पष्ट अनुशंसा एवं दाखिल खारिज
वाद संख्या 210/93-94 के आधार पर पूर्व में कायम जमाबंदी जिसका लगान
वर्ष 2009-10 तक वसूल है का, सरकार के सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग
झारखंड रांची के पत्रांक 1704 दिनांक 15.07.2020 के अनुपालन में लगान रसीद निर्गत करने हेतु
चालू पंजी-॥ में दर्ज जमाबंदी को अद्यतन करने की स्वीकृति दी जाती है। उक्त आदेश
किसी भी सक्षम न्यायालय के स्वत्व संबंधित पारित आदेश से प्रभावित होगी।

तदनुसार आदेश का उदवरण तीन प्रति में हस्ताक्षरित।
आदेश की दो प्रति राजस्व उप निरीक्षक को अनुपालन हेतु दें तथा अनुपालन
प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक पक्ष के अन्दर समर्पित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी,
बरवाडीह।

अंचल अधिकारी,
बरवाडीह।